UPMB010017862017

**न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1), महोबा।**

सिविल अपील संख्या–56 / 2017

मु0 अफाक आदि बनाम अब्दुल जलील आदि

————————————————————————————————————

**13.05.2022**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 62ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम तथा उस पर उत्तरार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 72ग पर सुना गया।

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 62ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण वसिलसिले रोजगार भोपाल में रहते हैं जिस कारण विपक्षी संख्या–1 की मृत्यु के बारे में उनको जानकारी नहीं हो सकी और न विपक्षीगण ने न्यायालय में विपक्षी संख्या–1 की मृत्यु की सूचना दी जिस कारण न्यायालय में प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उत्तरार्थी पक्ष की ओर से आपत्ति 72ग प्रस्तुत की गयी है जिसमें इस आशय के कथन किये गये हैं कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उत्तरवादी संख्या–1 की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी न दिये जाने का जो तथ्य उल्लिखित किया गया है, वह असत्य है। अपीलार्थीगण को उत्तरवादी संख्या–1 की मृत्यु की पूर्ण जानकारी होने के सम्बन्ध में विस्तृत कथन करते हुए तथा अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए उत्तरार्थीगण की ओर से, अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 62ग को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली एवं विधि के प्राविधानों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

न्यायालय का मत है कि परिसीमा सम्बन्धी प्राविधानों पर न्यायालय को उदारतापूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए, ताकि कोई पक्ष बिना किसी अपनी स्वयं की त्रुटि के, प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण सारभूत न्याय से वंचित न रह सके।

धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब को माफ किया जा सकता है। यहां तक कि यदि अधिवक्ता की भी कोई त्रुटि

हुई है, तो उसके आधार पर भी पक्षकार का विधिक पथ अवरूद्ध करते हुए उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

**रामधनी तिवारी बनाम डी0डी0सी0 व अन्य 1995 ए0डब्लू0सी0 1974** के वाद में इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के आवेदनों पर बहुत उदारता से विचार होना चाहिए और जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर न आ जाये कि याची/प्रार्थी विलम्ब का जो कारण बतला रहा है, वह एक दम गलत है, तब तक उसकी प्रार्थना को आमतौर पर स्वीकार कर लेना न्यायोचित होगा, क्योंकि न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिए। न्यायालय का दरवाजा तकनीकि आधार पर सर्वदा के लिए बंद कर देना उचित नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से जो प्रार्थना पत्र 62ग प्रस्तुत किया गया है, उसके कथनों के समर्थन में शपथ पत्र 63ग भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थिति में विधि के प्राविधान तथा उल्लिखित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में विचार करने के उपरान्त न्यायालय के मत में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 62ग स्वीकार होने योग्य है। जो असुविधा उत्तरार्थी पक्ष को हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 62ग हर्जाने के साथ स्वीकार होने योग्य है।

## आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 62ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम निष्कर्षानुसार 300/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार उत्तरार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 72ग निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 60क व 64ग दिनांक–27.05.2022 को प्रस्तुत हो।

दिनांक–13.05.2022

(राजीव कुमार पालीवाल)
न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1)
महोबा,
J.O No.U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2022.05.13 12:22:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court